भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 979

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना

979. श्री नवीन जिंदल:

श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में नामांकित कुल ग्राहकों की संख्या कितनी है तथा एपीवाई के अंतर्गत प्रदान की गई पेंशन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने योजना के कामकाज की समीक्षा की है तथा लाभार्थियों की संख्या बहुत कम होने को देखते हुए व्यापक आधार पर नामांकन के उद्देश्य से एपीवाई के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कोई नई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एपीवाई के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान नामांकित अभिदतओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**एपीवाई के तहत नामांकन**
2019-20	68,83,373
2020-21	79,14,142
2021-22	99,11,479
2022-23	1,10,00,601
2023-24	1,22,93,490
2024-25 (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)	63,32,008

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों, अल्पसेवितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सर्व-सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 9.5.2015 को किया गया था। यह योजना बैंक अथवा डाक-घर में बचत बैंक खाता रखने वाले 18-40 वर्ष के बीच की आयु के भारत के सभी नागरिकों के लिए है। इस योजना के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर अभिदाता को पेंशन लाभ प्राप्त होगा। अत:, एपीवाई के तहत पेंशन लाभ 2035 से आरंभ होने की उम्मीद है।

(ख) और (ग): एपीवाई योजना की समीक्षा करने और इसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं: -

i. उपलब्धियों के संबंध में बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की नियमित निगरानी की जाती है।
ii. एपीवाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी बैंकों के साथ उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है।
iii. जागरूकता सृजन के लिए समय-समय पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
iv. पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम और टाउनहॉल बैंठकें आयोजित की जाती हैं।
v. उपलब्धता के दायरे और समझ को बढ़ाने के लिए एपीवाई अभिदाता सूचना विवरणिका (ब्रोशर) 13 स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ-साथ एपीवाई के संबंध में एक पृष्ठ का फ्लायर भी अंग्रेज़ी और भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं में उपलब्ध है।
vi. पात्र लाभार्थियों के बीच एपीवाई का प्रचार करने हेतु बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टाफ, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक-सखियों के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
vii. एपीवाई के बारे में जागरूकता और इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसआरएलएम के साथ मिलकर काम करना।
viii. सुविधाजनक ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग के लिए ई-एपीवाई, नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक के वेब-पोर्टल जैसे ऑनलाइन चैनलों को सक्रिय करना।
ix. एपीवाई अभिदाताओं की सहायता के लिए एपीवाई हेल्प डेस्क और प्रोटियन-सीआरए में चैटबॉट को सक्रिय करना।
x. एपीवाई के लाभों और एपीवाई अभिदाताओं को दी जा रही सेवाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए एपीवाई उपयोगकर्ता सेवाओं, एपीवाई लेन-देन सेवाओं, एपीवाई सूचना सेवाओं, एपीवाई पॉडकास्ट/वीडियो, एपीवाई कॉल सेंटर के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध है।

*****